US-84
04-01-2022

अत्यंत महत्वपूर्ण/विधानसभा
विशेष पत्र वाहक/ई–मेल द्वारा

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉ तल, सी – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(..2..)/अता./ ता प्र.सं.84/द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग–2022/दिविस/श.वि./1288-90 दिनांकः 01-01-22

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः–दिल्ली सातवीं विधानसभा के द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग तारांकित /अतारांकित प्र. स. 84 मान्नीय विधायक श्री. पंकज जारवाल दिनांक 04.01.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ, मान्नीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मान्नीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

Scanned with CamScanner

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री प्रकाश जारवाल

दिनांक : 04.01.2022

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 84

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि दिनांक 1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा एसडीएमसी को निर्माण–गतिविधियों से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हाँ तो ऐसी सभी शिकायतों का संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएँ;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा समय–समय पर ऐसी शिकायते भेजी जाती है। ऐसी शिकायतों पर विधि अनुरूप कार्यवाही की जाती है। इन शिकायतों का ब्यौरा विभागीय अभिलेखों में एकत्र रूप मे व्यवस्थित नही है।
ख	क्या यह सत्य है कि दिनांक 1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा एसडीएमसी को निर्माण–गतिविधियों से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हाँ तो ऐसी सभी शिकायतों का संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएँ;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार खिड़की एक्सटेंशन एक अनाधिकृत कॉलोनी है, जिसमे संपत्तियों का कोई निश्चित नंबर नही है एवं संपत्ति मालिक स्वयं से इसका निर्धारण कर देते है। क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान एस–36 खिड़की एक्सटेंशन एक पुरानी इमारत ज्ञात हुई। जोकि केवल एक मंजिल बना हुआ है।
ग	क्या यह सत्य है कि खसरा नंबर 12 और खसरा नंबर 253, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में डीडीए की भूमि बताया गया है, उस पर निजी इमारतें बन गई हैं;	**दिल्ली विकास प्राधिकरण** दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ.5 (3)/मिस./2015/पी एंड सी/ वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, को सूचित किया है कि– दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)
घ	एमसी के साउथ ज़ोन के अंतर्गत चिराग दिल्ली में 300 वर्गगज के भूखंड पर अनधिकृत निर्माण के गिराने संबंधी विवरण उपलब्ध कराएँ साथ ही म.नं. 509 के सीमांकन की भी जानकारी देते हुए बताएँ कि क्या इसमें सरकारी भूमि पर अतिक्रमण भी हुआ है;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार संपत्ति संख्या 509 चिराग दिल्ली एक पुरानी इमारत है जोकि वर्तमान में संपत्तिधारक द्वारा स्वयं गिराई जा रही है।

Scanned with CamScanner

ड	ऐसा ही विवरण मकान नंबर 664 के बारे में भी प्रदान करें जिसका निर्माण कुछ महीने पूर्व कोरोना लॉकडाउन की अवधि में हुआ था; और	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसारसमयानुसार यह संपत्ति जीर्ण–शीर्ण हो चुकी थी जिसे विभाग व संपत्तिधारक द्वारा पूर्णतः गिरा दिया गया था। तदुपरांत संपत्तिधारक द्वारा विभाग की पूर्वानूमति के बिना भूतल का पुनः निर्माण किया गया जिसे की डीएमसी एक्ट, 1957 में किए गए प्रवाधनों के अनुरूप कार्यवाही हेतु बुक किया गया है।
च	खतरनाक ढाँचों को गिराने और नई इमारतों के निर्माण के संबंध में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएँ?	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसारखतरनाक ढांचों को गिराने संबंधी कार्यवाही डीएमसी एक्ट की धारा 348 के अनुरूप की जाती है तथा नए भवन के निर्माण संबंधी व्यवस्था Unified Building Bye Laws-2016 मे दी गई है।

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

Scanned with CamScanner

11/

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक–बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023

75

सं. एफ 5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/सी.एम./769 दिनांक 2 अगस्त, 2018

Main letter in English Language was already been sent by Hon'ble min. D.O.

May place in the concern file.
10/8/18

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

DS-PC

विषय : छठी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक 07/06/2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09/07/2018 के अपने पत्र सं. एफ 53 (यू.एस.क्यू.)/बजट सेशन–सैकंड–जून–2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी 7175 7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ सं. एफ.यू.एस.क्यू./बजट सेशन II जून 2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी–6983–43(यू.एस.क्यू.–80), 6925 34 (क्यू.एस.क्यू. 78), 6977 80(यू.एस.क्यू. 89) तथा 6901 6904 (यू.एस.क्यू. 70) दिनांक 29/05/2018 तथा अनुपूरक फरद डी 7066 से 7068 दिनांक 13/06/2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए ए (3) (क) के अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

Scanned with CamScanner

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि. प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव

Scanned with CamScanner

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक–बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023

सं. एफ 5(3) / मिस. / 2015 / पी एंड सी / सीएस / 769 दिनांक 2 अगस्त, 2018

Main letter in English Language was already been sent by Hon'ble Min UD. May place in the concern file. 10/8/18

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

DS-PC

विषय : छठी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक 07 / 06 / 2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09 / 07 / 2018 के आपके पत्र सं. एफ 53 (यू.एस.क्यू.) / बजट सेशन–सैकंड–जून–2018 / दिल्ली असेंबली / यू.डी. / डी 7175 7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ सं एफ.यू.एस.क्यू. / बजट सेशन II जून 2018 / दिल्ली असेंबली / यू.डी. / डी–6983–43(यू.एस.क्यू.–80), 6925 34 (क्यू.एस.क्यू. 78), 6977 80(यू.एस.क्यू. 89) तथा 6901 6904 (यू.एस.क्यू. 70) दिनांक 29 / 05 / 2018 तथा अनुपूरक फरर्द डी 7066 से 7068 दिनांक 13 / 06 / 2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए ए (3) (क) के अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

Scanned with CamScanner